

## कार्यालय जिला साक्षरता संगठन नरसिंहपुर

### सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

1- संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण :- जिला साक्षरता संगठन का पंजीयन क्रमांक J/N/ 193/90 है। जिसके सदस्य निम्नानुसार है।

- श्री मनीष रस्तोगी कलेक्टर/अध्यक्ष जिला साक्षरता संगठन नरसिंहपुर
- श्री जे के नायक परियोजना संचालक
- श्री उपेन्द्र महाजन
- श्री जितेन्द्र अग्रवाल
- श्री राजेश कुमार साहू
- श्री कोमल सिंह ठाकुर
- श्री किषोरीलाल पटैल
- श्री श्रीराम पटैल
- श्री अभय नेमा
- श्री रामषंकर कठोनिया
- श्री अरूण रघुवंशी
- श्री अमोल सिंह वर्मा
- श्री केहर सिंह पटैल
- श्री बी के साहू
- वनमंडलाधिकारी नरसिंहपुर
- जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी नरसिंहपुर
- जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
- प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहपुर
- महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर
- जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग नरसिंहपुर
- उपसंचालक पंचायत एवं समाज सेवा नरसिंहपुर
- कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नरसिंहपुर
- कार्यपालन यंत्री नलकूप विभाग नरसिंहपुर
- कार्यपालन यंत्री आर ई एस नरसिंहपुर
  
- कार्य – राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में जिला साक्षरता संगठन द्वारा संचालित सतत् शिक्षा एवं विशेष महिला पढ़ना बढ़ना योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा।

2- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार :- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के दिशा निर्देशानुसार साक्षरता एवं शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के त्वरित गति से क्रियान्वयन, सौंपे गये कृत्यों, कर्तव्यों, दायित्वों के निष्पादन एवं पारदर्शिता के साथ संचालन सुनिश्चित करना।

- 3- निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं लेखा जोखा शामिल है :- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के दिशा निर्देशानुसार नियमों, उपविधियों, अधिसूचनाओं एवं न्याय दृष्टांतों के अनुसार कार्यवाही की जाना है।
- 4- कर्तव्यों के निर्वहन के लिये तय किये गये मापदंड :- सतत् शिक्षा योजना के अन्तर्गत जिले में संचालित 990 पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्रों का सुचारु संचालन तथा विशेष महिला पढ़ना बढ़ना अभियान के अन्तर्गत निरक्षर जन प्रतिनिधियों (पंच, सरपंच, पी टी ए के सदस्य) को विशेषकर महिलाओं को साक्षर बनाना।
- 5- कर्मचारियों के लिये उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये नियम विनियम निर्देश मेनुअल तथा अभिलेख जो संघारित किये गये हैं :- राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशों एवं मध्यप्रदेश आचरण नियम 1965 के प्रावधान अनुसार।
- 6- नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र :- संचालित योजनाओं की कैषबुक, लजर, बैंक पासबुक, स्टोर पंजी, स्टॉक पंजी, अभिलेखन पंजी, अद्यतन पंजी, उपस्थिति पंजी, शिकायत एवं समाधान पंजी, गार्ड फाईल एवं विविध पंजी का संधारण किया गया है।
- 7- इसके प्रबंधन एवं नीति निर्धारण के संबंध में जन साधारण से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिये की गयी व्यवस्था का विवरण :- जिला साक्षरता समिति की बैठक का आयोजन कर प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया जाता है।
- 8- दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और ये बोर्ड, कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठक जनसाधारण की सुलभ है और क्या इनकी कार्यवाही टीप जनता को उपलब्ध होती है :- जिला साक्षरता समिति गठित है तथा समिति की बैठकों एवं बैठक कार्यवाही की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है एवं जनसाधारण के लिये सुलभ है।
- 9- इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची :- निरंक।
- 10- इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी शामिल है :- निरंक।
- 11- इसकी प्रत्येक एंजेसी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है :- निरंक।

- 12- अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो :- निरंक।
- 13- रियायत, परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किये गये उनका विवरण :- निरंक।
- 14- उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है :- निरंक।
- 15- जन साधारण को जानकारियों को प्राप्त करने के लिये जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनका विवरण जिसमें लायब्रेरी, रीडिंग रूम के कार्य के घण्टे यदि वे कार्यरत हों तो :- जिला साक्षरता संगठन द्वारा 990 ग्रामों में पुस्तकालय एवं संस्कृति केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जो षाला भवन अथवा सार्वजनिक भवन में संचालित हैं जो सुबह दो घण्टे एवं सायं दो घण्टे संचालित होते हैं।
- 16- जन सम्पर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण :- निरंक।
- 17- अन्य जानकारियों जो निर्धारित की जावेगीं :- निरंक।

परियोजना संचालक  
जिला साक्षरता संगठन नरसिंहपुर